FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0069 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/03/2026 12:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 11/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:29 बजे **Time To (समय तक):** 19:44 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/03/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/03/2026 12:36:39 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 310 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SIYA NAME KI MOBAILE KI DUKAN,PARSHURAM CHAURAHA, PANERIYON KI MADHRI, JILA UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHENDRA DANGI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** VARDHICHAND DANGI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	EKLINGPURA MEN ROAD UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	EKLINGPURA MEN ROAD UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAGENDRA SINGH RANAWAT		पिता:GOVIND SINGH RANAWAT	1. MALPUR GORANA,JHADOLE,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	SHAKTI SINGH		पिता:KAILASH SINGH	1. BAGHELON KA KHERA,BADISADRI,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA
3	ARJUN SINGH		पिता:BHEEM SINGH	1. BHATVARA KLAN,GANGRAR,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA
4	ANIL KUMAR MEENA		पिता:SANGRAM MEENA	1. MUKAM HIKA, POST SAROLI,KHERWARA,BAVALWADA,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 27.02.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर समय 01.16 पी.एम. पर मोबाईल नम्बर से कॉल आया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर पर पुनः समय करीब 01.29 पी.एम. पर कॉल कर वार्ता की गई, तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम महेन्द्र डांगी निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर होना बताया और अवगत कराया कि "मेरा एकलिंगपुरा अण्डरपास के पास प्रतापनगर रोड की तरफ कार सर्विस का गैराज है, मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूं। आज से करीब 04-05 दिन पहले तीन-चार पुलिस वाले सादीवर्दी में सरकारी बोलेरो गाडी लेकर मेरे गैराज पर आये थे, जिसमें एक नागेन्द्र सिंह जी व दूसरे अर्जुन सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि वह इस सर्किल के डिप्टी साहब की स्पेशल टीम में है। उन्होंने गैराज में पडी हुई गाडियों के बोनट खोल-खोल कर चैक किये और मुझे धमकाया कि तुम चोरी की गाडियां काटते हो, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। जिस पर मैंने सारी गाडियों के कागज उन्हें दिखाये तो कहने लगे कि तुम्हारा गैराज तो एग्रिकल्चर पर है और तुम्हारे जीएसटी नम्बर भी नहीं है, तुम्हारा गैराज सीज करवा देंगे, गैराज में नाबालिग काम करते हैं, अपने फोन से गैराज का वीडियो बनाकर तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे ऐसा कह कर धमका कर वहां से चले गये। उसके बाद वह सभी आये-दिन मेरे गैराज पर आकर गैराज चैक कर मुझे डरा धमकाकर परेशान कर रहे हैं। दिनांक 26.02.2026 को नागेन्द्र सिंह जी व अर्जुन सिंह जी सरकारी बोलेरो गाडी लेकर मेरे गैराज पर आये थे, उनके साथ एक अनिल जी नाम के पुलिस वाला था, नागेन्द्र जी व अन्य के द्वारा उनको अनिल नाम से बुलाते है इसलिये मैं उनका नाम जानता हूं और एक अन्य व्यक्ति भी थे, जिनको मैं केवल शक्ल से पहचानता हूं, सभी पुलिस वाले अर्जुन सिंह जी को साहब बोल रहे थे। सभी पुलिस वाले गैराज पर रखी हुई गाडियों को चैक करने लगे, जिस पर मैंने उनको बोला कि साहब मैं तो लिगल काम ही करता हूं आप रोज-रोज गैराज पर आकर क्यों परेशान कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, कोई गलती हुई हो तो बताओ। जिस पर नागेन्द्र सिंह जी ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि "पुलिस कार्यवाही से बचना है और गैराज चलाना है तो 50,000/- रूपये मंथली देने पडेंगे, उसके बाद तुम चाहे जो करना, हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, हमें हर महिने मंथली देते रहना।'जिस पर मैंने उन्हें बहाना बना कर कहा कि अभी मैरे पास पैसे नहीं हैं। जिस पर नागेन्द्र सिंह जी ने मुझे 01-02 दिन में व्यवस्था कर देने का बोला और मंथली नहीं देने कर कार्यवाही की धमकी देकर सभी पुलिस वाले उनकी बोलेरो गाडी लेकर चले गये। आज मैंने मेरे एक परिचित से आपके मोबाईल नम्बर लेकर आपको कॉल कर पुरी जानकारी दे रहा हूं, मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को मंथली के रूप में रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। पुलिस वाले रोजाना की तरह आज भी मेरे गैराज पर शाम तक रिश्वत राशि लेने के लिये आ सकते है, आप कार्यवाही के लिये जल्दी आ जावें। जिस पर परिवादी को ब्यूरो की प्रक्रिया बताकर कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु कहा गया, तो परिवादी ने बताया कि मैं व्यस्त होने से नहीं आ सकता हूं, आप एकलिंगपुरा स्थित मेरे गैराज पर आ जावें। जिस पर परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत की गई और हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये गये। जिस पर श्रीमान् द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को कानि. संजय सिंह को साथ लेकर परिवादी से समन्वय कर उसके गैराज पर जाकर रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 05.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय हाजा पर उपस्थित कानि. श्री संजय सिंह 318 से कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड मंगवाया, जिस पर श्री संजय सिंह कानि. द्वारा सोनी कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32

जीबी बरंग लाल व ग्रे मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में उक्त मेमोरी कार्ड डाल कर चैक किया तो मेमोरी कार्ड रिक्त हो, रिकॉर्डर दुरस्त हालात में पाया गया। श्री संजय सिंह कानि. को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु हमराह लेकर मय प्राईवट वाहन के एकलिंगपुरा की तरफ रवाना हुआ। परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर उसके द्वारा बताये गये स्थान एकलिंगपुरा अण्डर पास के पास, प्रतापनगर रोड पर स्थित उसके कार गैराज पर समय करीब 05.55 पी.एम. पर पंहुचा, जहां परिवादी उपस्थित मिला, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का तथा कानि श्री संजय का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा। उसके बाद परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को घटनाक्रम से अवगत करवा कर इस आशय की हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "मैं महेन्द्र पिता वरदीचन्द डांगी, उम्र 31 वर्ष, निवासी एकलिंगपुरा मेन रोड उदयपुर का रहने वाला हुं, मेरा एकलिंगपुरा चैराहे पर R. K. Carcaare नाम से गैराज है। जिसको मैं और मेरा भाई चलाते हैं दिनांक 22.02.2026 को गैराज पर पुलिस की गाडी नम्बर RJ27UC2212 सादा वर्दी में तीन पुलिसकर्मी आए जिनमें से दो पुलिस वाले नागेन्द्र सिंह व अर्जुन सिंह को मैं पहचानता हूं, वो मेरे गैराज में छानबीन करते हुये आरोप लगाने लगे की तुम चोरी की गाडियां काटते हो। कृषी भूमि पर गैराज चला रहे हो व GST नहीं भर रहे हो, तुम्हारा गैराज सीज करवा देंगे और गैराज पर नाबालिग काम करते है तम्हारे खीलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे, हम डीप्टी साहब की स्पेशल टीम है। मेरे द्वारा गैराज पर रखी हुई सारी गाडियों के कागज चैक करवाने पर भी वह मुझे धमकाते हुए उस दिन चले गए उसके बाद आये दिन आकर डरा धमका कर मुझे परेशान करने लगे। दिनांक 26.02.2026 को पुनः आए तब मैने हाथा जोडी कर बोला सर रोज रोज क्यूं परेशान करते हो कोई गलती हुई हो तो साफ साफ बताओ जीस पर नागेन्द्र सिंह जी ने मुझे साईड में ले जाकर बोला की गैराज चलाना है और कार्यवाही नहीं करवानी हो तो महिने के पचास हजार 50,000/- रूपये साहब को देने पडेगे जिसपे मेने कहा कि मेरे गैराज में इमानदारी से काम करता हूं मै इतने पैसे कहां से लाउंगा, मेरे बार बार हाथा जोडी करने पर कहने पर कहने लगे कि मैं साहब से बात करता हूं कम से कम 25,000/- पच्चीस हजार महिने के देने ही पडेंगे। मैं पुलिस वालों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी उक्त पुलिस वाले कोई दुश्मनी या आपसी रंजीश नहीं है ना ही रूपयों की उधार लेन देन है, कृपया कानूनी कार्यवाही करावें।'परिवादी श्री महेन्द्र डांगी द्वारा पेश रिपोर्ट को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर परिवादी को सुनाया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिखित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी ने बताया कि पुलिस वालो द्वारा उसे व उसके छोटे भाई को डराया धमकाया जाता है, मेरे द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में मैंने मेरे छोटे भाई कन्हैया उर्फ प्रभु को भी बताया है, वो भी पुलिस वालो को रिश्वत राशि नही देकर कार्यवाही करवाना चाहता है, लेकिन वो इस कार्यवाही में मेरे साथ नही रहेगा। परिवादी श्री महेन्द्र डांगी की हस्तलिखित रिपोर्ट एवं पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध का पाया जाने से परिवादी को ब्यूरो की कार्यवाही से अवगत करवाया गया, परिवादी श्री महेन्द्र डांगी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि "नागेन्द्र सिंह जी के मोबाईल नम्बर मेरे पास है, लेकिन वो मेरे से फोन पर रिश्वत राशि की बात नही करेगें। नागेन्द्र सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, अनिल जी व एक अन्य पुलिसवाले दिनांक 22.02.2026 से आये दिन मेरे गैराज पर दोपहर बाद पुलिस की गाडी लेकर अचानक आ जाते है, उस समय ही उनसे वार्ता हो सकती है। लेकिन मेरे कुछ काम होने से एवं होली का त्यौहार होने से इन दिनो में गैराज पर ज्यादा समय नही रहुंगा इसलिये रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही नही करवा सकुंगा, होली के बाद में आपको फोन कर सूचित कर दुंगा और रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करवा दुंगा, अगर इस बिच में नागेन्द्र सिंह जी, अर्जुन सिंह जी या उनके साथ आने वाले पुलिस वालो से अचानक मेरा सम्पर्क होता है तो मैं उनसे समय ले लुंगा'जिस पर परिवादी को गोपनीयता रखने की आवश्यक हिदायत देकर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना हुआ। समय करीब 08.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पंहुच डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र डांगी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पेश कर हालात निवेदन किये। जिस पर श्रीमान् द्वारा रिपोर्ट पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात दिनांक 04.03.2026 को समय 04.14 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी ने उसके मोबाईल नम्बर से कॉल कर बताया कि "अभी थोडी देर पहले नागेन्द्र सिंह जी मेरे गैराज पर आये थे और मुझसे 25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करने लगे, जिस पर मैंने उन्हे दो दिन रूकने के लिये कहा, तो उन्होंने परसो दिनांक 06.03.2026 को आने के लिये कहा है।'जिस पर परिवादी को गोपनियता रखने आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 06.03.2026 को समय 04.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक व श्री दिनेश कुमार हैडकानि मय उक्त कार्यवाही के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी के बतायेनुसार आज संदिग्ध पुलिस वालो के परिवादी के गैराज पर आने की सम्भावना होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करने हेतु परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के गैराज एकलिंगपुरा की तरफ रवाना हुआ। समय करीब 05.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक व श्री दिनेश कुमार हैडकानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय प्राईवेट वाहन के परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के गैराज एकलिंगपुरा पंहुचा,

जहां परिवादी उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया को पुनः समझाईश कर, संदिग्धगण की लोकेशन के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि वो अचानक ही आते है, जिस पर परिवादी के गैराज पर ही संदिग्धगण के इन्तजार में रहे। समय करीब 05.30 पी.एम. पर पुलिस का बोलेरो वाहन परिवादी के गैराज के बाहर मैन रोड पर प्रतापनगर की तरफ जाता हुआ दिखा, परिवादी ने गैराज के बाहर देखकर बताया कि पुलिस का बोलेरो वाहन मेरे गैराज के थोडा आगे रूका हुआ है उक्त वाहन जिसके रजिस्टेशन नं. आरजे-27-यूसी-2212 से ही नागेन्द्र सिंह जी उनके साथी पुलिसवालो के साथ हमेशा आते है, जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 05.37 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी को सुपुर्द किया। उसके बाद परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस के वाहन बोलेरो की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक व श्री दिनेश कुमार कानि संदिग्धगणो के गैराज में आने की सम्भावना होने से गैराज से बाहर निकलकर गैराज के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इन्तजार में रहे। मन् पुलिस निरीक्षक व श्री दिनेश कुमार हैडकानि जिस स्थान पर छुपाव लिये हुए खडे थे वहां से वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 27 यूसी 2212 एवं संदिग्धगण व परिवादी वार्ता करते हुए स्पष्ट दिख रहे थे। संदिग्धगणो के वहां से जाने के बाद समय करीब 06.04 पीएम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवादी ने बताया कि "मैं पुलिस के वाहन बोलेरो के पास गया तो वाहन में बीच वाली सीट पर नागेन्द्र सिंह जी बैठे हुए थे, वाहन के आगे अनिल जी व उनका एक अन्य साथी बैठा हुआ था। उक्त सभी आये दिन गैराज पर आकर गैराज में रखे वाहनो की बिना कारण चैकिंग कर मुझे व मेरे छोटे भाई प्रभु को मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर डराते है। मेरे वाहन के पास जाने पर नागेन्द्र सिंह जी वाहन से नीचे उतर गये थे, ड्राईवर सीट पर बैठे हुए पुलिसकर्मी एवं नागेन्द्र सिंह जी से मेरी रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता हो गई है, वार्ता में नागेन्द्र सिंह जी व साथी पुलिस वाले द्वारा मुझसे 25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की, मेरे हाथा जोडी करने पर 25,000/- रूपये में से 5,000 /- रूपये कम करते हुए 20,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति दी है। हमारे बिच होने वाली बात को ड्राईवर सीट पर बैठे अनिल जी सुन रहे थे, और बिच-बिच में बात कर रहा थे, "उन्होने मुझे पहले भी दिनांक 22.02.2026 को कहा था कि साहब से बात कर ले, जो भी देकर खत्म कर।'उसके बाद नागेन्द्र सिंह जी मेरे साथ गैराज पर आये थे, जिन्होने वहां एक्सीडेन्ट हुए गाडी हुण्डई कम्पनी की वरना देखी, जिसे खरिदने के लिये उन्होने पहले कहा था। उसके बाद नागेन्द्र सिंह जी ने मुझे रिश्वत राशि देने का ईशारा किया, जिस पर मैंने उन्हे कहा कि रूपयो का इन्तजाम करके देता हूं। उसके बाद नागेन्द्र सिंह जी गैराज से उनकी सरकारी गाडी बोलेरो की तरफ चले गये। मैं उनके उस स्थान से जाने का इन्तजार करने लगा, उनके जाने के बाद मैं आपके पास आया हूं। पुलिस कर्मीयो से हुई वार्ता को मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डर कर लिया है' जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। उसके बाद परिवादी से कॉ-ड्राईवर सीट पर बैठे पुलिसकर्मी के संबंध में जानकारी चाही तो परिवादी ने बताया कि मैं उन्हे केवल शक्ल से पहचाना हू, उनका नाम क्या है मैं नही जानता हूं । तत्पश्चात समय करीब 07.05 पीएम पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने एवं संदिग्धगणो के द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने एवं गोपनियता रखने की हिदायत देकर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री दिनेश कुमार हैडकानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के वहां से कार्यालय हाजा के लिये रवाना होकर समय करीब 07.40 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंच श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल निवेदन किये। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 07.03.2026 को समय 02.27 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी ने मोबाईल नम्बर से कॉल कर बताया कि "मैं आज किसी काम से बाहर हूं, लेकिन अभी थोडी देर पहले नागेन्द्र सिंह जी मेरे गैराज पर आये थे और मेरे छोटे भाई प्रभु को डरा धमका कर 20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करने लगे, और कहने लगे की मेरी इतनी भी वेल्यू नही है क्या जो तुम रोज रोज चक्कर दे रहे हो, मैं तुम्हे देख लुंगा, जिस पर मेरे भाई ने उन्हे कहा कि अभी रूपयो की व्यवस्था नही हुई है, व्यवस्था करके आपको दे देगें। जिस पर नागेन्द्र जी गुस्सा करते हुए वहां से चले गये। उक्त बात मेरे भाई ने मुझे कॉल कर बतायी है'जिस पर परिवादी को आगे की कार्यवाही के लिये कहा तो परिवादी ने कहा कि एक-दो दिन में रिश्वत राशि में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर आपको सूचित करता हूं और बताया कि दिनांक 06.03.2026 को सरकारी वाहन बोलेरो में नागेन्द्र सिंह जी व अनिल जी के अलावा कॉ-ड्राईवर सीट पर बैठा हुआ पुलिसवाला, जिससे मेरी रिश्वत राशि के संबंध में बात हुई थी, उसका नाम मैंने मालुमात कराया तो उसका नाम शक्ति सिंह एएसआई होने की जानकारी मिली है। जिस पर परिवादी को गोपनियता रखने आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 09.03.2026 को समय 02.39 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि में दी जाने वाली राशि को लेकर ब्यूरो कार्यालय पर आने के लिये कहा तो "परिवादी ने कहा कि मैं रूपयो की व्यवस्था कर आता हूं'जिस पर परिवादी को जल्दी रूपयो की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की एवं गोपनियता रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 03.30

पीएम पर समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान् आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के नाम गवाह तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 306 दिनांक 09.03.2026 जारी कर श्री दिनेश कुमार हैडकानि को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के लिये रवाना किया। तत्पश्चात समय करीब 04.15 पीएम पर श्री दिनेश कुमार हैडकानि ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर का मनोनित गवाह पत्रांक 1445 दिनांक 09.03.2026 की छायाप्रति सुपुर्द कर अवगत कराया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर पंहुच गवाह तलबी तेहरीर संबंधी शाखा में सुपुर्द कर मनोनित गवाहान को शीघ्र ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करा हाजिर कार्यालय आया हूं। तत्पश्चात समय करीब 04.30 पीएम पर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से मनोनित दो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये, जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम पता क्रमश 1. श्री विजय कुमार नायक पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल नायक, उम्र 44 वर्ष, निवासी गांव आडीवली, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर हाल भू. अभिलेख निरीक्षक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर मोबाईल नम्बर 2. श्री ताराचन्द यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी अहीर का बास, वार्ड नम्बर 02, तहसील व पुलिस थाना दांतारामगढ, जिला सीकर हाल कनिष्ठ लेखाकार, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 04.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नही होने से पुनः कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे अचानक अति आवश्यक कार्य होने से मैं आज आपके कार्यालय में नही आ सकुंगा, कल मैं आपके कार्यालय पर सुबह 11.00 बजे तक आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को दिनांक 10.03.2026 को समय 11.00 एएम तक ब्यूरो कार्यालय पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर उपस्थित होने के लिये पाबन्द किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक व श्री ताराचन्द यादव को दिनांक 10.03.2026 को समय 11.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.03.2026 को समय 10.20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के मोबाईल पर कॉल कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया, जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं थोडी देर में ब्यूरो कार्यालय पर रिश्वत राशि लेकर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को गोपनियता रखते हुए रिश्वत राशि के साथ शीघ्र ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय करीब 11.00 एएम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक व श्री ताराचन्द यादव ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये, जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय करीब 11.45 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री महेन्द्र डांगी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। जिस पर कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाह को मंतव्य से अवगत करा परिवादी श्री महेन्द्र डांगी से आपस में परिचय करवाया जाकर गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2026 को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होकर स्वयं की हस्तलिपि में लिखित होना व स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 12.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने निर्देशानुसार श्री राजेश कुमार कानि 263 द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 05.37 पीएम से स्थान एकलिंगपुरा अण्डरपास के पास प्रतापनगर रोड पर स्थित परिवादी के कार सर्विस गैराज के बाहर परिवादी व आरोपिगणो के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर हाजिरान को सुनाई गई तो उक्त वार्ता में परिवादी श्री महेन्द्र डांगी ने स्वयं की आवाज के अलावा अन्य आवाज में श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल की आवाज की पहचान कर आवाज होने की ताईद की। उक्त वार्ता से स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित कर पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर समय करीब 01.15 पीएम पर समाप्त कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय करीब 02.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश हैडकानि द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 05.37 पीएम पर परिवादी व आरोपीगण के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ऑडियो फाईल जो ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की फाईल को दो पेनड्राईव सेनडिस्क 32 जीबी बरंग लाल व काला एवं चार आरोपी सीडी में बारी-बारी से कॉपी कर सुरक्षित की गई, जिनकी हेशवैल्यू निकली गई, जो एक समान प्राप्त हुई, एक मूल पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में रख श्री प्रदीप हैडकानि से सीलचिट करा मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द मुर्तिब पेनड्राईव, सीडी एवं जप्ती पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 02.30 पीएम पर मन् पुलिस

निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश हैडकानि द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 05.37 पीएम पर परिवादी व आरोपिगण के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ऑडियो फाईल जो ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की वाईस रिकॉर्डिंग फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई, जो दोनो पेनड्राईव व चारो सीडियों में सुरक्षित की गई वार्ता की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू के समान प्राप्त हुई, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी 32 जीबी बरंग लाल व ग्रे को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रख कर श्री प्रदीप हैडकानि से सीलचिट करा मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 03.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया रिक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी 32 जीबी बरंग लाल व ग्रे लगाकर चैक किया गया तो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड रिक्त होना एवं सूचारू रूप से कार्य करना पाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपीगण की लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के मोबाईल नं. से आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के मोबाईल नं. पर समय करीब 04.02 पीएम व 04.04 पीएम पर कॉल् किया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी का कॉल रिसिव नही किया गया। उक्त को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया लेकिन वार्ता नही होने से उक्त की ट्रांसक्रिप्ट नही बनायी गई। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि नागेन्द्र सिंह जी को मैं जब भी कॉल करता हूं तो वो मेरा फोन नही उठाते है या जब फोन उठाते है तो कहते है कि मुझे कोई बात नही करनी है उसके बाद वो कभी भी मेरे गैराज पर आकर मुझे रिश्वत राशि के लिये डराते धमकाते है। तत्पश्चात समय करीब 06.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के पास आरोपी का रिर्टन कॉल नही आने से एवं आज अग्रिम कार्यवाही की सम्भावना नही होने से दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को गोपनियता रखने की आवश्यक हिदायत देकर एवं तलब करने पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एवं परिवादी को आरोपिगणो द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 01.18 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी ने कॉल कर बताया कि श्री नागेन्द्र सिंह कानि को मैंने आज कॉल किया तो उन्होने मेरा फोन रिसिव नही किया, जिस पर मैंने मेरे परिचित के मोबाईल नम्बर से श्री नागेन्द्र सिंह को कॉल किया तो उन्होने उसे कहा कि अभी मैं सौ रहा हूं बाद में बात करते है। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क होने पर तुरन्त सूचित करने एवं ब्यूरो कार्यालय पर रिश्वत राशि लेकर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात गवाहान को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय करीब 02.00 पीएम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक व श्री ताराचन्द यादव ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये, जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय करीब 05.32 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी ने कॉल कर बताया कि श्री नागेन्द्र सिंह कानि की मेरे परिचित से मोबाईल वार्ता हुई है, नागेन्द्र सिंह जी ने मेरे परिचत श्री शुभम सिंह राव को मुझे लेकर अभी हनुमान मन्दिर गांव नौखा, सेक्टर 03 उदयपुर पर मिलने के लिये बुलाया है। जिस पर परिवादी को तुरन्त ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। समय करीब 05.50 पीएम पर तलबशुदा परिवादी श्री महेन्द्र डांगी ब्यूरो कार्यालय पर उसके परिचित के साथ उपस्थित आया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि नागेन्द्र सिंह जी मेरे परिचित श्री शुभम सिंह राव के मोबाईल नं पर मेरे संबंध में बात कर रहे है, ये भी आगे की कार्यवाही में मेरे साथ रहेगे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव को अपना परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री शुभम सिंह राव पुत्र श्री प्रताप सिंह राव, जाति राजपूत, उम्र 22 वर्ष, निवासी पुरोहितो की मादडी, पुलिस थाना प्रतापनगर, उदयपुर हाल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, धावजी की बाडी, पुलिस थाना प्रतापनगर, उदयपुर होना बताया। जिस पर श्री शुभम सिंह राव को परिवादी श्री महेन्द्र डांगी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर की जा रही ट्रेप कार्यवाही संबंधी निर्देश देकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो टीम सदस्यो से आपस में परिचय करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि से सरकारी मोबाईल फोन में एक नया रिक्त मेमोरी कार्ड लगवा कर चैक किया गया तो मेमोरी कार्ड रिक्त होना पाया गया, श्री प्रदीप भण्डारी को सरकारी मोबाईल फोन से कार्यवाही के दौरान विडियोग्राफी करने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात समय करीब 06.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र डांगी पुत्र श्री वर्दीचन्द्र डांगी, उम्र 31 वर्ष, निवासी एकलिंगपुरा मेन रोड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर से संदिग्ध आरोपीगण श्री नागेन्द्र सिंह कानि., वृत्त स्पेशल टीम, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर व अन्य की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु करने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये, प्रस्तुत नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया, स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र डांगी की तलाशी लिवाई गई, जिसमें परिवादी के पेन्ट की

आगे की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नही रहने दी। तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार कानि. से कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 20,000/- रूपये के समस्त नोटों के दोनों तरफ फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटों को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री विजय कुमार नायक से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे गवाहान, परिवादी एवं उपस्थितिनों को दिखाया गया, तो उन्होंने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री राजेश कानि. की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री राजेश कानि. से नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी भी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री राजेश कानि. को फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में रखने और ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर को पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र डांगी व परिवादी का परिचित श्री शुभम सिंह राव, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ का आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दोनो गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी, श्री शुभम सिंह राव एवं संदिग्धगण के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात संदिग्धगण द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर दोनो हाथ फैरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर पर कॉल कर "आपका गियर बॉक्स तैयार है आ जाओ'कहने का ईशारा निर्धारित किया जाकर परिवादी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात समय करीब 06.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार हैडकानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर परिवादी की कार से परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव के साथ हनुमान जी का मन्दिर, गांव नौखा, 100 फीट रोड, सेक्टर 03 की तरफ रवाना किया तथा सरकारी वाहन से श्री गिरीराज शर्मा उनि, श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि, गवाह श्री विजय नायक मय कानि चालक श्री युसुफ खां मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के एवं श्री मोहम्मद जाबीर उनि व श्री चन्द्र कान्त हैडकानि प्राईवेट वाहन से, श्री संजय कुमार कानि प्राईवेट वाहन से एवं मन् पुलिस निरीक्षक व गवाह श्री ताराचंद यादव प्राईवेट वाहन से उनके पीछे-पीछे रवाना हुए। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अलग-अलग वाहनो से परिवादी के वाहन कार के पीछे-पीछे सेक्टर 03 की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में समय करीब 06.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर श्री दिनेश कुमार हैडकानि ने कॉल कर बताया कि समय करीब 06.38 पीएम पर श्री शुभम सिंह राव के मोबाईल नम्बर पर संदिग्ध श्री नागेन्द्र सिंह के मोबाईल नमबर से कॉल आया, जिस पर मेरे द्वारा श्री शुभम सिंह राव के मोबाईल फोन का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर वार्ता करवायी जाकर उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। वार्ता में आरोपी द्वारा हनुमान मन्दिर गांव नौखा, सेक्टर 03 पर मिलने के लिये कहा गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार हैडकानि को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी द्वारा नियत स्थान के लिये रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनो से रवाना हुए। समय करीब 06.45 पीएम पर 100 फीट रोड माली कॉलोनी से पहले मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी को रिश्वत राशि लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द कर परिवादी व परिवादी के परिचित को हनुमान मन्दिर गांव नौखा की तरफ रवाना करते हुए परिवादी की कार से निचे उतर गया एवं श्री संजय कानि की मोटर साईकिल के पीछे बैठकर परिवादी की कार के पीछे-पीछे रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के भी अपने-अपने वाहनो से परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे रवाना हुए। हनुमान मन्दिर गांव नौखा, 100 फीट रोड, सेक्टर 03 के पास पंहुच परिवादी ने वाहन को रोड के साईड में खडा किया, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के वाहन के आस पास अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडे रहे। समय करीब 07.07 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर

परिवादी ने व्हाट्सएप वाईस कॉल कर बताया कि शुभम सिंह राव के मोबाईल फोन से नागेन्द्र सिंह जी को कॉल किया तो नागेन्द्र सिंह जी ने परशुराम चैराहा के पास सिया नाम से मोबाईल की दुकान पर आने के लिये कहा। जिस पर परिवादी को आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा बताये गये स्थान की तरफ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे रवाना हुए। समय करीब 07.11 पीएम पर परशुराम चैराहा पर पहुचने पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी ने कॉल कर बताया कि शुभम सिंह राव के मोबाईल फोन से नागेन्द्र सिंह जी को कॉल किया तो नागेन्द्र सिंह जी ने बताया कि वह मोबाईल की दुकान के अन्दर ही बैठा है हमे भी दुकान के अन्दर ही बुला रहा है। जिस पर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी व परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव को सिया मोबाईल की दुकान की तरफ रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान उक्त मोबाईल की दुकान आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहे। तत्पश्चात समय करीब 07.37 पीएम पर परिवादी व श्री शुभम सिंह राव सिया मोबाईल की दुकान से बाहर निकल कर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि "नागेन्द्र सिंह जी ने रूपये हाथ में नही लेकर, मुझसे मोबाईल की दुकान के अन्दर बने केबिन में रखी टेबल पर रखवा दिये है'जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुचे तो परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसे बन्द कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि "नागेन्द्र सिंह जी द्वारा मुझसे रिश्वत राशि को सिया मोबाईल की दुकान के अन्दर बने केबिन में रखी टेबल पर रखवा दी है, और नागेन्द्र सिंह जी अभी भी दुकान के अन्दर ही बैठे है।'जिस पर समय करीब 07.44 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी व श्री शुभम सिंह राव को हमराह लेकर सिया मोबाईल की दुकान की तरफ रवाना हुए, दुकान के अन्दर प्रवेश करने से पहले परिवादी श्री महेन्द्र डांगी ने बताया कि दुकान में रेड व वाईट मिक्स चैक्स वाला शर्ट पहना हुआ व्यक्ति ही नागेन्द्र सिंह है, जिस पर दुकान के अन्दर प्रवेश कर परिवादी द्वारा बताये व्यक्ति को दुकान के संचालक की उपस्थिति में मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मनत्वय से अवगत करा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, जाति राणावत, उम्र 32 वर्ष, निवासी मालपुर, पुलिस थाना झाडोल, उदयपुर हाल निवासी गोकुल विलेज, सेक्टर 07, हिरणमगरी, पुलिस थाना सविना, उदयपुर हाल कानिस्टेबल बेल्ट नं. 1186 होना बताया, पदस्थापन के बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि मेरे एग्जाम होने मैंने आज ही वृत्त नगर पूर्व स्पेशल टीम से पुलिस थाना भूपालपुरा के लिये रवानगी ले ली है। तत्पश्चात परिवादी श्री महेन्द्र डांगी की तरफ ईशरा कर ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कहने लगा मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली है। जिस पर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी ने बताया कि इन्होने मुझे दुकान के अन्दर बने केबिन में ले जाकर मुझसे रिश्वत राशि 20,000/- रूपये को टेबल पर रखवाया है। जिस पर आरोपी को हमराह लेकर दुकान के अन्दर बने केबिन में प्रवेश कर अन्दर रखे टेबल पर परिवादी द्वारा बतायी जगह पर देखा तो रिश्वत राशि नही मिली, जिस पर आरोपी को रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने रिश्वत राशि ग्रहण नही करना बताया। जिस पर दुकान के संचालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रफुल मेनारिया पुत्र श्री दिनेश मेनारिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी होली चैकी, पानेरियो की मादडी, उदयपुर होना बताया, जिसे केबिन के अन्दर टेबल पर रखी हुई राशि 20,000/- रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि "नागेन्द्र सिंह जी ने मुझे कहा था कि मैं टेबलेट खरिदने के लिये 20,000/- रूपये लेकर आया था, जो तुम्हारे केबिन में टेबल पर छुट गये है वह ले लेना, जिस पर मैंने केबिन में जाकर टेबल पर रखे 20,000 रूपये को गिनकर मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है'उसके बाद दुकान संचालक ने उसकी पहनी हुई पेन्ट बरंग काला की पीछे की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोटो की गड्डी निकाल कर पेश की, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री ताराचन्द यादव ने उक्त राशि को लेकर गिना तो 500-500 रूपये के कुल 40 नोट कुल राशि 20,000/- रूपये होना बताया। जिनके नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द प्रदर्शन एवं पेशकशी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहू हो जो निम्नानुसार है 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 BA 064878, 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 AQ 874793, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 GA 729294, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 AR 433208, 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 AF 640230, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 TV 006825, 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 MK 441825, 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 MB 935395, 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 MK 580223, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 MQ 864945, 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 HW 655127, 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 NQ 503179, 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 EM 363041, 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 GQ 853530, 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 QE 190732, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 PM 184522, 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 QS 522134, 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 WV 328652, 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 QW 122419, 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 FW 020339, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 QC 402645, 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 ST 600705, 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 NL 964267, 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 NF 313405, 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 EP 524652, 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 HQ 353770, 500 रूपये का एक नोट नंबर 2 FM 740364, 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 ST 986755, 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 RW 041302, 500 रूपये का एक नोट

नंबर 5 UU 824295, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 VG 870491, 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 BF 672719, 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 HL 802864, 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 FF 299670, 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 HE 744397, 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 VN 172763, 500 रूपये का एक नोट नंबर 0 LF 410128, 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 AV 265724, 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 AN 543007, 500 रूपये का एक नोट नंबर 6 NQ 568867 उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 के 40 नोट कुल 20,000/- रुपये को पीले रंग के कागज में सिलचिट किया जाकर चिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। केबिन में रखी टेबल के उस स्थान का जहां पर रिश्वत राशि को रखा गया था एवं दुकान संचालक श्री प्रफुल मेनारिया के दोनो हाथो का एवं उसकी पहनी हुई पेन्ट बरंग काला की पीछली दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से धोवन लेने की कार्यवाही हेतु श्री चन्द्र कान्त हैडकानि से सरकारी वाहन में रखा हुआ ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया एवं श्री प्रफुल मेनारिया के परिचित से उसके लिये नई पेन्ट मंगवाई गई। तत्पश्चात श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री दिनेश कुमार हैडकानि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर श्री संजय कुमार कानि द्वारा दुकान में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में श्री दिनेश कुमार हैडकानि से सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी में से एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया। इस पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा कपडे की चिन्दी को भिगोकर टेबल के उस स्थान पर गुमाया गया जहां पर आरोपी के कहेनुसार परिवादी द्वारा रिश्वत राशि रखी गयी थी और आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के कहेनुसार श्री प्रफुल मेनारिया द्वारा जहां से रिश्वत राशि को लिया गया था, तत्पश्चात गिलास के रंगहीन घोल में चिन्दी को धुलवायी गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया, इस धोवन को दो साफ कांच की शीषियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयों को सिलचिट कर मार्क अंकित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर श्री संजय कुमार कानि द्वारा दुकान में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में श्री दिनेश कुमार हैडकानि से सोडियम कार्बोनेट की शीशी में से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में दुकान संचालक श्री प्रफुल मेनारिया के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क अंकित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार श्री प्रफुल मेनारिया के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क अंकित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री प्रफुल मेनारिया के परिचित द्वारा एक नया लॉवर लेकर आने पर श्री प्रफुल मेनारिया की पहनी हुई कार्गो पेन्ट बरंग काला को ससम्मान उतरवाई जाकर नये लॉवर को पहनाया गया, तत्पश्चात उक्त पेन्ट बरंग काला के पीछे की दाहिनी जेब का प्रक्रियानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री संजय कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर श्री दिनेश कुमार हैडकानि द्वारा दुकान में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में श्री संजय कुमार कानि से सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी में से एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री प्रफुल मेनारिया की पेन्ट बरंग काला के पीछे की दाहिनी जेब को श्री संजय कुमार कानि से उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित ने स्वीकार किया इस धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क अंकित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री प्रफुल मेनारिया की कार्गो पेन्ट बरंग काला की पीछे की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपडे की थेली में सीलबंद कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। सिलचिटशुदा आर्टिकल्स को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी को उसके साथीगण श्री शक्ति सिंह, श्री अर्जुन सिंह व श्री अनिल के पदस्थापन एवं उनको कॉल कर लोकेशन की जानकारी करने के लिये कहा तो आरोपी कहने लगा श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि व श्री अनिल कानि मेरे साथ वृत्त पूर्व की स्पेशल टीम में थे, मेरी वहां से रवानगी हो चुकी है, अब में किसी से भी कॉल पर वार्ता नही करूंगा। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात सरकारी वाहन से श्री गिरीराज शर्मा उनि, श्री मोहम्मद जाबीर उनि, गवाह श्री विजय नायक, आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि, दुकान संचालक श्री प्रफुल मेनारिया मय कानि चालक श्री युसुफ खां मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के, श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री संजय सिंह कानि को प्राईवेट वाहन से, श्री चन्द्रकान्त हैडकानि व श्री दिनेश हैडकानि को प्राईवेट वाहन से एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाह श्री ताराचन्द यादव मय प्राईवेट वाहन के

रवाना होकर समय करीब 09.40 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुचे, रवाना होने से पूर्व आरोपी का मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी का जो दुकान पर काउंटर पर रखा हुआ था उसे स्वतंत्र गवाह श्री ताराचन्द के पास सुरक्षित रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि को सिलचिटशुदा आर्टिकल्स को सुपुर्द मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखने की हिदायत देकर रखवाये गये। उच्चाधिकारियेां के निर्देशानुसार शेष आरोपीगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि व श्री अनिल कानि की तलाश हेतु श्री गिरीराज शर्मा उनि व श्री मोहम्मद जाबीर उनि मय ब्यूरो जाप्ता को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया। तत्पश्चात समय करीब 10.30 पी.एम. पर आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी हेतु निर्देशानुसार मनोनित डॉ सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक भ्रनि ब्यूरो इन्टे उदयपुर को प्रक्रिया हेतु दो स्वतंत्र गवाह एवं सरकारी वाहन की आवश्यकता होने से व रात्रि का समय होने से गवाह तलब करने में देरी होने से डॉ सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक के निवेदन पर उक्त ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री विजय कुमार नायक व श्री ताराचन्द यादव को एवं सरकारी वाहन मय चालक को डॉ सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर बाद खाना तलाशी के पुनः कार्यालय पर उपस्थित होने के आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 12.03.2026 को समय करीब 01.00 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाह मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय पर बाद खाना तलाशी कार्यवाही के उपस्थित आये। समय करीब 01.30 एएम पर शेष आरोपी श्री शक्ति सिंह सउनि की तलाश हेतु रवानाशुदा श्री मोहम्मद जाबीर उनि मय कानि श्री संजय सिंह के हाजिर कार्यालय आये। टीम द्वारा आरोपी के मिलने के सम्भावित स्थानो पर तलाश की गई परन्तु आरोपी श्री शक्ति सिंह सउनि नही मिला, आरोपी अपनी सकुनत से रूहपोश है। तत्पश्चात समय करीब 01.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि के स्वास्थ्य में गिरावट होने से मेडिकल ज्यूरिस्ट, राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय, जिला उदयपुर से स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार करवाने हेतु तेहरीर जारी कर श्री मोहम्मद जाबीर उनि को सुपुर्द कर मय श्री संजय सिंह कानि मय आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि मय गवाह श्री ताराचन्द मय सरकारी वाहन मय चालक के राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय, जिला उदयपुर रवाना किया। समय करीब 03.00 एएम पर श्री मोहम्मद जाबीर उनि मय श्री संजय सिंह कानि मय आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि मय गवाह श्री ताराचन्द मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय करीब 03.05 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने निर्देशानुसार श्री संजय सिंह कानि 318 द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव व आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 06.38 पीएम पर श्री शुभम सिंह राव व आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता एवं समय करीब 06.45 पीएम से परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव व आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता को चलाकर हाजिरान को सुनाई गई तो उक्त वार्ता में परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव व आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि ने अपनी अपनी आवाज की पहचान कर आवाज होने की ताईद की। परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव ने भी उक्त वार्ता में आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि की आवाज की पहचान कर आवाज होने की ताईद की। वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित कर पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय 07.30 एएम पर शेष आरोपी श्री अर्जुन सिंह हैडकानि व श्री अनिल मीणा कानि की तलाश हेतु रवानाशुदा श्री गिरीराज शर्मा उनि मय कानि श्री राजेश कुमार के हाजिर कार्यालय आये। टीम द्वारा शेष आरोपीगण के मिलने के सम्भावित स्थानो पर तलाश की गई परन्तु आरोपी श्री अर्जुन सिंह हैडकानि व श्री अनिल मीणा कानि नही मिले, आरोपीगण अपनी सकुनत से रूहपोश है। तत्पश्चात समय 07.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश हैडकानि द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के समक्ष दिनांक 10.03.2026 को समय करीब 04.02 पीएम व 04.04 पीएम परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के मोबाईल से आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के मोबाईल कॉल किया गया, लेकिन आरोपी द्वारा कॉल रिसिव नही किया गया, उक्त की रिकॉर्डिंग की ऑडियो फाईल्स तथा दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 06.38 पीएम पर श्री शुभम सिंह राव व आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता एवं समय करीब 06.45 पीएम से परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव व आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की ऑडियो फाईल्स जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओ की फाईल्स को दो पेनड्राईव सेनडिस्क 32 जीबी बरंग लाल व काला एवं चार आरोपी सीडी में कॉपी कर सुरक्षित की गई, जिनकी हेशवैल्यू निकली गई, जो एक समान प्राप्त हुई, एक मूल पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में सीलचिट करा मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया । फर्द मुर्तिब पेनड्राईव, सीडी एवं जप्ती पेनड्राईव मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश हैडकानि द्वारा परिवादी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के समक्ष दिनांक 10.03.2026 को समय करीब 04.02 पीएम व

04.04 पीएम पर मोबाईल् कॉल तथा दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 06.38 पीएम पर श्री शुभम सिंह राव व आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता एवं समय करीब 06.45 पीएम से परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव व आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की ऑडियो फाईल्स जो ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओ की वाईस रिकॉर्डिंग फाईल्स की हेशवैल्यू निकाली गई, जो दोनो पेनड्राईव व चारो सीडियों में सुरक्षित की गई वार्ता की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू के समान प्राप्त हुई, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी 32 जीबी बरंग लाल व ग्रे को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रख कर श्री प्रदीप हैडकानि से सीलचिट करा मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा फर्द मुर्तिब कर शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 08.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री महेन्द्र डांगी व परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव के समक्ष आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि 1186 से परिवादी के विरूद्ध दर्ज शिकायत के संबंध में एवं परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण करने के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण नही करना बताया। जिस पर दिनांक 06.03.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 11.03.2026 को हुई मोबाईल व रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की आईओ पेनड्राईव में दर्ज वार्ताओ को बारी-बारी से कम्प्यूटर में चलाकर सुनाया जाकर पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा उक्त वार्ताओ में स्वयं की आवाज की पहचान कर आवाज होने की ताईद की एवं बताया कि मैं महेन्द्र डांगी को जानता हूं इनके एकलिंगपुरा अण्डर पास के पास प्रतापनगर रोड पर स्थित कार गैराज में मैंने वाहनो में रिपेयरिंग का कार्य करवाया था। मैंने, श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि व श्री अनिल मीणा कानि ने मय सरकारी वाहन के इनके गैराज पर डीप्टी साहब, वृत्त नगर पूर्व के निर्देशानुसार चैकिंग की कार्यवाही की थी, लेकिन श्री महेन्द्र डांगी के विरूद्ध कोई लिखित शिकायत नही है। दिनांक 06.03.2026 को मैं, श्री शक्ति सिंह सउनि व श्री अनिल मीणा कानि सरकारी वाहन बोलेरो से श्री महेन्द्र डांगी के एकलिंगपुरा अण्डर पास के पास प्रतापनगर रोड पर स्थित कार गैराज में गये थे। उसके बाद आरोपी ने पदस्थापन के संबंध में पूछने पर बताया कि मेरा पदस्थापन पुलिस थाना भूपालपुरा में है, सीओ साहब नगर पूर्व के मौखिक आदेश से मैं करीब एक माह से सर्किल स्पेशल टीम में हूं, मेरे साथ श्री शक्ति सिंह सउनि जिनका पदस्थापन पुलिस थाना प्रतापनगर में है, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि जिनका पदस्थापन पुलिस लाईन उदयपुर में है व श्री अनिल कानि जो पुलिस लाईन से है, और हमारी स्पेषल टीम को सरकारी वाहन बोलेरो नं. 2212 पुलिस लाईन से दिया हुआ है। आमद रवानगी के संबंध में पूछने पर बताया कि हमारी सी.एस.टी. की आमद रवानगी रोजनामचा में नही होती है केवल वृत्त नगर पूर्व में संधारित उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर होते है। तत्पश्चात 12.03.2026 को समय 09.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, जाति राणावत, उम्र 32 वर्ष, निवासी मालपुर, पुलिस थाना झाडोल, उदयपुर हाल निवासी गोकुल विलेज, सेक्टर 07, हिरणमगरी, पुलिस थाना सविना, उदयपुर हाल कानिस्टेबल बेल्ट नं. 1186, वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री ताराचन्द से लिवाई जाकर धारा 35 बी.एन.एस.एस., 2023 की पालना की जाकर आरोपी को किये गये जुर्म से एवं गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराया जाकर आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय 09.30 एएम पर श्री प्रफुल मेनारिया ने दरियाफत पर बयान किया कि मेरी सिया मोबाईल नाम से मोबाईल की दुकान परशुराम चैराहा पानेरियों की मादडी उदयपुर में हैं, जिसको मैं और मेरा भाई दोनों संभालते हैं। दुकान में मदद के लिये एक सहायक को भी रख रखा हैं। श्री नागेन्द्र सिंह जी करीब 4-5 साल पहले पुलिस थाना प्रतापनगर में पदस्थापित थे, उस दौरान मेरे दुकान पर कोई चोरी का मोबाईल बेच कर चला गया था तो उस समय वो मेरी शॉप पर जांच करने आये थे तब से मैं उन्हें जानता हॅु। वो कभी कभार मोबाईल संबंधीत कोई कार्य हो तो मेरी दुकान पर आ जाते हैं। दिनांक 11.03.2026 को सांयकाल करीब 7 बजे के आस पास मैं पास की दुकान पर गया हुआ था, पांच-सात मिनट बाद जब मैं मेरी दुकान पर वापस आया तो नागेन्द्र सिंह जी उनके दो साथीयो के साथ मेरी दुकान के अन्दर काउंटर के तरफ बेठे हुए थे। नागेन्द्र सिंह जी ने मुझे बोला कि मुझे टेबलेट लेना हैं, अच्छा वाला टेबलेट दिखाओ, जिस पर मैं व मेरे सहायक ने उन्हें वन प्लस कंपनी का टेबलेट दिखाया। उसके बाद मैं मेरे अन्य ग्राहकों को संभालने लग गया। नागेन्द्र सिंह जी व उनके मिलने वाले करीब 15-20 मिनट तक कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थें, उसके बाद नागेन्द्रजी व उनके दोनों मिलने वाले मेरे दुकान में बने केबिन में चले गये और करीब 5-7 मिनट तक अंदर बैठे और उसके बाद तीनों केबिन से निकलकर दुकान के मेन गेट तक आये और उनके मिलने वाले दोनों व्यक्ति तो बाहर चले गये और नागेन्द्र सिंह जी पुनः मेरे दुकान के काउण्टर पर आकर टेबलेट देखने और उसकी कीमत के बारे में चर्चा करने लग गये। 2-3 मिनट चर्चा के बाद मैं टेलिफोन पर बात कर रहा था उस समय मेरे को बोला कि मैं टेबलेट के लिये 20,000/- रूपये लेकर आया जो तुम्हारे केबिन में टेबल पर छुट गये हैं, वह ले आओ। इस पर मैं केबिन के अंदर गया तो वहां टेबल पर नोट रखे हुए थे वो लेकर

गिनकर मेरी पेंट की पीछली जेब में रख दिये और पुनः काउंटर पर आकर नागेन्द्र सिंह जी से टेबलेट के संबंध में चर्चा करने लग गया। इतने में सादा वर्दी में आप और आपकी टीम आई और नागेन्द्र सिंह जी से पूछताछ करने लगे। नागेन्द्र सिंह जी आप लोगों को केबिन के अंदर लेकर गये और बाद में आपने केबिन से बाहर आकर मेरे को टेबल पर रखे रूपयों के संबंध में पुछा तो मैंने आपको बताया कि वो रूपये मैंने नागेन्द्र सिंह के कहने पर टेबलेट की कीमत के बदले में लिये हैं जो मेरे पास हैं, जिनको मैनें आपको पेश किया था। मेरे केबिन में रूपये नागेन्द्र सिंह जी व उनके दो मिलने वालों में से किसने रखे वो मेरी जानकारी में नहीं हैं। टेबल पर रखे 20,000/- हजार रूपये मैंने नागेन्द्र सिंह जी पुलिस वाले के द्वारा दुकान के केबिन के अंदर छुट जाने का बोलने पर ही मैंने टेबलेट की कीमत के पेटे लिये हैं। नागेन्द्र सिंह जी ने अगर रिश्वत के रूप में पैसे लेकर हमारी दुकान के केबिन में रखवाये हैं तो यह गलत हैं। मेरी दुकान के अन्दर बने केबिन में टेबल पर श्री नागेन्द्र सिंह जी पुलिस वाले द्वारा रखवाये गये 20,000/- रूपये रिश्वत के होने की मुझे जानकारी नहीं थी। आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं आवाज का नमूना देने हेतु पृथक पृथक तहरीर दी गई, जिस पर आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में पेश करने व आवाज नमूना देने के प्रतिउत्तर में अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं, अंकित किया। तत्पश्चात समय करीब 11.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेन्द्र डांगी को उसके कार गैराज पर लगे कैमरो की विडियो फुटेज उपलब्ध कराने के लिये पूछा तो परिवादी ने बताया कि "मैं गैराज पर जाकर सीसीटीवी कैमरो के डीवीआर में रिकॉर्डशुदा विडियो फुटेज को पेनड्राईव में कॉपी कर उपलब्ध करा सकता हूं" जिस पर परिवादी को उसके गैराज के सीसीटीवी कैमरो की विडियो फुटेज पेनड्राईव में लेकर आने की आवश्यक हिदायत देकर परिवादी व परिवादी के परिचित श्री शुभम सिंह राव को रवाना किया गया। समय करीब 03.02 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र डांगी को कॉल कर श्री शुभम सिंह राव को साथ लेकर सीया मोबाईल की दूकान, परशुराम चैराहा, पानेरियों की मादडी, उदयपुर पंहुचने हेतु पाबन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह, दुकान मालिक श्री प्रफुल मेनारिया व श्री राजेश कानि मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन मय चालक के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु ब्यूरो कार्यालय से घटनास्थल के लिये रवाना हुआ। समय करीब 03.25 पीएम पर घटनास्थल पंहुचा जहां परिवादी श्री महेन्द्र डांगी व श्री शुभम सिंह राव उपस्थित आये। परिवादी श्री महेन्द्र डांगी व श्री शुभम सिंह राव के निशादेही से एवं श्री प्रफुल मेनारिया की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील पत्रावली की गई। बाद फारीक परिवादी को गैराज में लगे सीसीटीवी कैमारों की विडियो फुटेज शीघ्र उपलब्ध कराने की हिदायत देकर परिवादी व श्री शुभम सिंह राव को रवाना किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के घटना स्थल से रवाना हो समय करीब 04.45 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पंहुचा। समय करीब 05.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पर तलबशुदा उपस्थित आरोपीगण के सहकर्मी श्री करण सिंह सउनि, रीडर, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, उदयपुर को गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 05.37 पी.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी व आरोपीगण श्री नागेन्द्र सिंह कानि., श्री शक्ति सिंह सउनि व श्री अनिल मीणा कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 06.45 पी.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी, श्री शुभम सिंह राव व आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की आईओ पेन ड्राईव को ब्यूरो के लेपटॉप में बारी-बारी से कनेक्ट कर वार्ताओं को फर्द ट्रांसक्रिप्ट के तुलनात्मक चलाकर सुनाई गई। श्री करण सिंह सउनि द्वारा वार्ताओ का सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट में अंकितानुसार आरोपीगण श्री नागेन्द्र सिंह कानि., श्री शक्ति सिंह सउनि व श्री अनिल मीणा कानि. की आवाज की पहचान कर आवाज होने की ताईद की गई। फर्द आवाज पहचान मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री करण सिंह सउनि को रूकसत किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.45 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र डांगी व श्री शुभम सिंह राव ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उसके कार गैराज पर लगे कैमरो की विडियो फुटेल का एक पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी का 32 जीबी, बरंग लाल व काला एवं विडियो फुटेज में परिवादी के गैराज पर आरोपीगणो की उपस्थिति से संबंधित कुछ फोटोग्राफ पेश किये। जिनकी फर्द पेशकशी मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय 06.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश हैडकानि. द्वारा परिवादी, परिवादी के परिचित, आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह राणावत कानि. एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का अल्ट्रा 32 जीबी बरंग लाल व ग्रे से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। उक्त सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेप लेपटॉप से श्री दिनेश कानि. से कनेक्ट करा मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा ऑडियो वीडियो फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई व ऑडियो वीडियो फाईल की दो पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी बरंग लाल व काला में कॉपी कर हेशवैल्यू निकाली गई, मेमोरी कार्ड व दोनों पेनड्राईव की हेशवैल्यू एक समान प्राप्त हुई। मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का अल्ट्रा 32 जीबी बरंग लाल व ग्रे को मोबाईल फोन से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रख सीलचिट करवा मार्क अंकित करा सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। जिसकी फर्द मुर्तिब पेनड्राईव व जप्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब

06.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र डांगी द्वारा पेश किये गये फोटोग्राफ एवं उसके गैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरो की विडियो फुटेज के पेनड्राईव को लेपटॉप में कनेक्ट कर उसमें दर्ज विडियो रिकॉर्डिंग को चलाकर विश्लेषण किया गया तो परिवादी द्वारा फोटोग्राफ एवं विडियो दिखाई दे रहे सादा वस्त्रो में आरोपिगण श्री शक्ति सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल कानि. की पहचान की गई, विडियो में उक्त आरोपीगण अलग-अलग दिनों में गैराज के वाहनो को चैक करते हुए एवं सरकारी वाहन बोलेरो दिखाई दे रही है। फर्द विश्लेषण पृथक मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील फाईल की गई। समय करीब 10.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के समक्ष परिवादी द्वारा जरिये फर्द पेशकशी के पेश की गई उसके कार गैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरों की विडियो फुटेज के पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी का 32 जीबी, बरंग लाल व काला को जरिये फर्द जप्त किया गया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि. को बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवा माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 01, उदयपुर के समक्ष पेश किया गया, आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा के आदेशानुसार केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल मीणा कानि द्वारा आपस में मिलिभगत, षडयंत्र करके अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुये वृत्ताधिकारी, वृत्त नगर पूर्व, उदयपुर की सर्किल स्पेशल टीम में होने का फायदा उठाते हुए परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के कार गैराज को चैक कर गैराज में चोरी की गाडिया काटने, नाबालिग लडको से काम करवाने का मिथ्या आरोप लगाकर परिवादी के गैराज को बार-बार चैक करके दबाव बनाकर, मानसिक रूप से प्रताडित कर रूपये ऐठन की गरज से परिवादी को डरा धमका परेशान करना पाया गया। दिनांक 06.03.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपीगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल कानि. द्वारा परिवादी से उसके विरूद्ध कार्यवाही नही करने की ऐवज में मांग की गई रिश्वत राशि 25,000/- रूपये में से परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने पर पांच हजार रूपये कम करते हुए 20,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने की सहमति देना एवं दिनांक 11.03.2026 को रिश्वत राशि लेन देन वार्ता के दौरान आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि द्वारा आरोपिगणो की मांग अनुसार परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया। आरोपिगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल मीणा कानि का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री अर्जुन सिंह हैडकानि द्वारा परिवादी के गैराज पर आरोपीगणों के साथ जाकर गैराज को अवैध रूप से बार-बार चैक करना परिवादी द्वारा प्रस्तुत उसके गैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरों के विडियोफुटेज एवं फोटोग्राफ से प्रमाणित है एवं दिनांक 06.03.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री अर्जुन सिंह हैडकानि मौके पर उपस्थित नही था, लेकिन आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि ने परिवादी से वार्ता के दौरान आरोपी श्री अर्जुन सिंह के लिये रिश्वत राशि के संबंध में 'वो रोज सुबह उठ कर माथा खाता है'कहना एवं दिनांक 11.03.2026 को हुई लेन देन वार्ता के दौरान भी आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि परिवादी से 'उसकी टीम सदस्यो से सारी बाते शेयर करना एवं रिश्वत राशि के लिये भी कहता है कि ये सब मेरी जेब में नही जायेगा'इत्यादि बात कहता है। आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि की उक्त बात आरोपिगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल कानि. की आपस मिलीभगत, षडयंत्र करने को प्रमाणित करती है। इस प्रकार आरोपी श्री अर्जुन सिंह हैडकानि द्वारा भी आरोपीगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल कानि. के हमसलाह हो षडयंत्र में शामील होकर परिवादी के गैराज को अवैध रूप से बार-बार चैक कर परिवादी को डरा-धमका कर मानसिक रूप से रिश्वत राशि देने हेतु प्रताडित कर मजबुर करना, परिवादी को उक्त लोकसेवको को रिश्वत राशि देने के लिए मजबुर करने के अवैध कृत्य में शामील रहना, उक्त आरोपी श्री अर्जुन सिंह हैडकानि के विरूद्ध अपराध धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपीगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि 954, श्री नागेन्द्र सिंह कानि 1186 व श्री अनिल कानि. 2655 द्वारा आपस में मिलिभगत कर, षडयंत्र करके अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये वृत्ताधिकारी, वृत्त नगर पूर्व, उदयपुर की सर्किल स्पेशल टीम में होने का फायदा उठाते हुए परिवादी श्री महेन्द्र डांगी के एकलिंगपुरा अण्डरपास के पास प्रतापनगर रोड पर स्थित आर.के. कार केयर नाम से संचालित कार सर्विस गैराज पर जाकर गैराज को बार-बार चैक कर गैराज में चोरी की गाडियां काटने, नाबालिग लडकों से काम करवाने का मिथ्या आरोप लगाकर, गैराज को बन्द करने की धमकी देकर परिवादी के विरूद्ध कार्यवाही नही करने, मुकदमा नहीं बनाकर गैराज को चलाने देने की ऐवज में परिवादी से दिनांक 06.03.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपीगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल कानि. द्वारा परिवादी से उसके विरूद्ध कार्यवाही नही करने की ऐवज में मांग की गई रिश्वत राशि 25,000/- रूपये में से परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने पर पांच हजार रूपये कम करते हुए 20,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने की सहमति देना एवं दिनांक 11.03.2026 को रिश्वत राशि लेन देन वार्ता के दौरान आरोपी श्री नागेन्द्र सिंह कानि द्वारा आरोपिगणो की मांग अनुसार परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया है एवं परिवादी श्री महेन्द्र डांगी द्वारा पेश किये

गये फोटोग्राफ एवं उसके गैराज पर लगे सीसीटीवी कैमरो की विडियो फुटेज के विश्लेषण से सादा वस्त्रों में आरोपिगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल कानि. अलग-अलग दिनो में परिवादी के गैराज के वाहनो को चैक करते हुए एवं सरकारी वाहन बोलेरो भी मौके पर दिखाई दे रही है। आरोपिगण श्री शक्ति सिंह सउनि, श्री अर्जुन सिंह हैडकानि, श्री नागेन्द्र सिंह कानि व श्री अनिल कानि. का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपिगण (1). श्री नागेन्द्र सिंह राणावत पुत्र श्री गोविन्द सिंह राणावत, उम्र 32 वर्ष, निवासी मालपुर, गोराणा, पुलिस थाना झाडोल, उदयपुर हाल मकान नम्बर 25, गोकुल विलेज, सेक्टर नम्बर 07, हिरणमगरी, पुलिस थाना सवीना, जिला उदयपुर कानि. नम्बर 1186, पदस्थापन पुलिस थाना भूपालपुरा, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर, (2). श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह उम्र 40 वर्ष, निवासी बाघेलों का खेडा पुलिस थाना बडी सादडी, जिला चित्तौडगढ सहायक उप निरीक्षक, पदस्थापन रिर्जव पुलिस लाईन, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर, (3). श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी गांव भटवाडा कला, पुलिस थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ, हैड कानि. नम्बर 954, पदस्थापन रिर्जव पुलिस लाईन, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर व (4). श्री अनिल कुमार मीणा श्री संग्राम मीणा, उम्र 37 वर्ष, निवासी मुकाम हिका, पोस्ट सारोली, तहसील खैरवाडा, पुलिस थाना बावलवाडा, जिला उदयपुर कानि. नम्बर 2655 पदस्थापन पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट उदयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में आरोपीगण (1). श्री नागेन्द्र सिंह राणावत पुत्र श्री गोविन्द सिंह राणावत, उम्र 32 वर्ष, निवासी मालपुर, गोराणा, पुलिस थाना झाडोल, उदयपुर हाल मकान नम्बर 25, गोकुल विलेज, सेक्टर नम्बर 07, हिरणमगरी, पुलिस थाना सवीना, जिला उदयपुर कानि. नम्बर 1186, पदस्थापन पुलिस थाना भूपालपुरा, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर, (2). श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह उम्र 40 वर्ष, निवासी बाघेलों का खेडा पुलिस थाना बडी सादडी, जिला चित्तौडगढ सहायक उप निरीक्षक, पदस्थापन रिर्जव पुलिस लाईन, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर, (3). श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी गांव भटवाडा कला, पुलिस थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ, हैड कानि. नम्बर 954, पदस्थापन रिर्जव पुलिस लाईन, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर व (4). श्री अनिल कुमार मीणा श्री संग्राम मीणा, उम्र 37 वर्ष, निवासी मुकाम हिका, पोस्ट सारोली, तहसील खैरवाडा, पुलिस थाना बावलवाडा, जिला उदयपुर कानि. नम्बर 2655 पदस्थापन पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर हाल वृत्त स्पेशल टीम, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरिशचन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 654 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 484-87 दिनांक 15.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट उदयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HARISHCHANDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/03/2026 12:39:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				
2	Male	1986				
3	Male	1986				
4	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)